

भारत सरकार/Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy  
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र/Variable Energy Cyclotron Centre

1/ए.एफ,बिधान नगर/1/AF/Bidhan Nagar,  
कोलकाता/Kolkata-700 064

सं./Ref: VECC/Admin/CHSS/2021/1526

सितंबर/September 30 2021

**परिपत्र / CIRCULAR**

**विषय:** सी.एच.एस.एस. के डॉक्टरों एवं रेफरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा निर्धारित की गई दवाओं के लिए चिकित्सीय बिल की प्रतिपूर्ति।

**Sub.: Reimbursement of Medical Bill for the medicine prescribed by CHSS Doctors and Doctors of the Referral hospital-reg.**

जैसा कि हम सभी जानते हैं, सी.एच.एस.एस. के डॉक्टर एवं रेफरल हॉस्पिटलों के डॉक्टर रोग के मूल्यांकन के आधार पर दवाओं को निर्धारित कर रहे हैं।

As all of us are aware, CHSS Doctors and Doctors of referral hospitals are prescribing medicines depending upon the evaluation of the illness by the Doctors.

2. जब वीडसीसी की सी.एच.एस.एस. सुविधा या रेफरल हॉस्पिटल में दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो, लाभार्थी को औषधालय/दवाखाना के काउंटर से नकद में उन दवाओं की खरीद करनी पड़ती है और फिर वे उन दवाओं का बिल प्रस्तुत करके बिल के भुगतान का दावा प्रस्तुत करते हैं।

When the medicine is not available in the CHSS facility in VECC or with the referral hospital, the beneficiary has to purchase the same by paying cash at the pharmacy/dispensary counter and claim the same by producing the bills.


3. हाल ही में, यह पाया गया है कि कुछ ही लाभार्थी ऐसे दवा की दुकानों/औषधालयों के बिल प्रस्तुत कर रहे हैं जिनपर जी.एस.टी. संख्या उपलब्ध नहीं होती है। उपर्युक्त विषय पर मौजूदा नियमों के अनुसार, ऐसा किसी भी प्रकार का लेन-देन स्वीकार्य जी.एस.टी. के अधीन होना चाहिए। अतः ऐसे बिलों पर जी.एस.टी. संख्या उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा प्रतिपूर्ति के ऐसे दावों को निरस्त कर दिया जायेगा।

Of late, it is found that some of the beneficiaries are submitting the bills of the medical shops/pharmacies where the GST number is not available in the bills. As per the extant rules on the subject, any such transaction is to be with admissible GST. Therefore, the bills should display GST number, otherwise reimbursement claim/s shall be rejected.

4. इस अनुसंधान केंद्र के सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि दवाओं की खरीद पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अब से ऐसे दावों को प्रशासन द्वारा तब ही स्वीकार किया जायेगा जब उन बिलों पर जी.एस.टी. संख्या उपलब्ध होगी।

Competent authority in this Research Centre has decided that henceforth claims for reimbursement of expenditure incurred towards purchase of medicines will be accepted by the Administration only if the same is accompanied with bills having GST number.

5. इस संबंध में सभी लाभार्थियों से सहयोग अपेक्षित है।  
Co-operation of all the beneficiaries is expected.



(टी.जी. रवीन्द्रन/T.G. Raveendran)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/Chief Administrative Officer

**प्रतिलिपि/Copy to:**

1. सभी सी.एच.एस.एस. लाभार्थी/All CHSS Beneficiaries
2. सभी सूचना पट्ट/All Notice Boards